संख्या– 205 /XXIV-4/2006

प्रेषक,

एस०के०माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनःदिनांक 10 जुलाई, 2006

विषय– इण्टर कालेज मोगरौण रामपुर, चौखुटिया, अल्मोड़ा का प्रान्तीयकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियोजन–1 / 15352/इ0 का0 मोगरौण अल्मोड़ा (प्रान्तीयकरण) /2006–07 दिनांक 04–07–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेज मोगरौण रामपुर, चौखुटिया, अल्मोड़ा का प्रान्तीयकरण विशेष परिस्थितियों में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा वास्तवित रूप से अधिग्रहण की तिथि जो भी बाद में हो, से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल महोदय प्रान्तीयकरण विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय से सम्बन्धित व्ययों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते है।

3– प्रान्तीयकरण की तिथि से इस विद्यालय का सम्पूर्ण व्यय राजस्व–व्ययक से सीधे सरकारी खर्च के रूप में वहन किया जायेगा तथा अन्य राजकीय विद्यालयों की भाँति इस विद्यालय को भी जिला शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक अधिकार में दिया जायेगा जो शिक्षा निदेशक उत्तरांचल द्वारा प्रसारित सामान्य नियमों के अनुसार इसका संचालन करेंगें। प्रश्नगत विद्यालय की भूमि/भवन आदि सभी चल तथा अचल सम्पति का शासन को स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। विद्यालय की आय में (प्रान्तीयकरण की तिथि से तथा विद्यालय की अवशेष क्लेम की बकाया रकम, कोष चन्दे से प्राप्त रकम, दान से प्राप्त धनराशि तथा छात्रों से ली गई फीस की धनराशि सम्मिलित है) राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त

संख्या-205(1)/XXIV-4/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी-अल्मोड़ा।
7. कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
8. अपर सचिव, शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
10. एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।
11. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0के0माहेश्वरी)
अपर सचिव।

आय सम्बन्धित शीर्षक में जमा कर दी जायेगी। प्रान्तीयकरण पर यह विद्यालय बिना दायित्व तथा अन्य भार के शासन को सौंप दिये जायेगे। प्रान्तीयकरण से पहले की देनदारी यदि बाद में निकल आयी, तो उसका दायित्व शासन पर नही होगा।

4. उक्त विद्यालय में शिक्षकों आदि की नियुक्ति/समायोजन नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। इन पदधारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण का पूर्ण अधिकार शासन तथा शिक्षा विभाग को होगा। इन पदधारकों को राजकीय सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण करना तभी सम्भव होगा, जब ये सक्षम अधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा अन्ततः योग्य घोषित कर दिये जायेगें। ऐसे प्रश्नगत स्टाफ को वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।

5. ऐसे पदधारक जो निर्धारित योग्यता न रखते हों अथवा जिन्हें शासन के सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो, का सरकारी सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण सम्भव न होगा जिन्हें कि उपरोक्त स्वीकृत पदों के सक्षम अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाये। तद्नुसार प्रश्नगत स्टाफ को चेतावनी दे दी जाय कि नियुक्ति अधिकारी अथवा विपरीत क्रम से उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को लिखित रूप से दिये गये नोटिस पर समाप्त कर दी जायेगी। ये कर्मचारी अपनी नई सेवा शर्तों को जो एक अस्थायी राज्य कर्मचारी के अनुरूप होगी, स्पष्ट रूप से स्वीकार करेगें।

6– उक्त के सम्बन्धमें होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक – 2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनेत्तर–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय–08–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रान्तीयकरण " के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–460 /वित्त अनु0–3/2006 दिनांक 10–07–2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(एस0के0माहेश्वरी)
अपर सचिव।